भाग III
(संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव पर वन संरक्षक की अनुशंसा

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें	14	नहीं।
15	क्या संबंधित वन संरक्षक भाग ख में दी गई सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	15	सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में संबंधित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें	16	वनमण्डलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा भाग II में की गई अनुशंसा के आधार पर, सीहोर जिले के अंतर्गत सिद्धीकगंज हाट–पिपलिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु, परिक्षेत्र आष्टा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 117, 118, 119, 120, 121, 148 एवं पी. एफ. 154 की कुल 3.720 हे0 वनभूमि, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को उपयोग पर देने के लिए, वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत, व्यपवर्तन की अनुमति बावत् अनुशंसा की जाती हैं।

तिथि .... /11/2022
स्थान: भोपाल

नाम
सरकारी मोहर

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

28/11/22

Scanned by CamScanner

कार्यालय वनसंरक्षक, भोपाल वृत्त भोपाल

खेल भवन 74बंगला, भोपाल दूरभाष 2674296 कार्या. 2674345

क्रमांक/मा.चि./ 2469

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2022

प्रति,

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
(भू–प्रबंध)
म0प्र0 भोपाल

विषयः– **सीहोर जिले के अंतर्गत परिक्षेत्र आष्टा के सिद्धीकगंज हाट–पिपलिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु 3.720 हेक्टेयर वन भूमि, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को उपयोग पर देने बावत्।**
(ऑन लाईन प्रस्ताव क्र FP/MP/Road/151553/2022)

संदर्भः– वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर का पत्र क्रमांक/माचि/2544 दिनांक 07/11/2022 (ऑन लाईन प्राप्त दिनांक 28/11/22)

—00—

विषयान्तर्गत वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर ने संदर्भित पत्र द्वारा सीहोर जिले के अंतर्गत **सिद्धीकगंज हाट–पिपलिया मार्ग उन्नयन एवं चौड़ीकरण हेतु, परिक्षेत्र आष्टा के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 117, 118, 119, 120, 121, 148 एवं पी.एफ. 154 की (6200 मीटर लंबाई तथा 6 मीटर चौड़ाई), कुल 3.720 हे0 वनभूमि, संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल को उपयोग पर देने बावत्** , वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनुमति हेतु, निर्धारित प्रारूप भाग **II** की पूर्ति उपरांत, ऑन लाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, प्रस्ताव की हार्ड प्रति अपने स्पष्ट अभिमत/अनुशंसा सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई हैं।

प्राप्त प्रस्ताव अनुसार **व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित वनक्षेत्र में कुल 121 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं।**

प्रकरण में व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल **कुल 3.720 हेक्टेयर वनभूमि के बदले, में कलेक्टर जिला सीहोर के पत्र क्र/04/अ–20(3)/2021–22 दिनांक 03/02/2022 से तहसील जावर के ग्राम धुराड़ा कलां, खसरा क्रमांक 1/1/क की 3.720 हक्टेयर गैर वनभूमि, वन विभाग को हस्तांतरित की गई हैं।**

प्रकरण में वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल सीहोर के पत्र क्रमांक/माचि/2257 दिनांक 10/10/2022 से परिक्षेत्र आष्टा अंतर्गत प्राप्त उपरोक्तानुसार **ग्राम धुराड़ा कलां, खसरा क्रमांक 1/1/क, की 3.720 हक्टेयर गैर वनभूमि पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने हेतु प्रस्तुत स्थल विशेष की 11 वर्षीय (वर्ष 2022–23 से 2032–33 तक) वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना, राशि रू 39,40,802/– की तकनीकी स्वीकृति कार्यालयीन आदेश क्र/माचि/435 दिनांक 27/10/2022 द्वारा जारी की जा चुकी हैं, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न हैं।**

अतः वनमंडलाधिकारी सा0 वनमंडल सीहोर द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, **सहमति सहित** आपकी प्रति में आगामी कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं।

संलग्नः–यथावर्णित।

(राजेश कुमार खरे)
वनसंरक्षक,
भोपाल वृत्त भोपाल

पृ0क्रमांक/मा.चि./ 2470

भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर 2022

प्रतिलिपिः–

1. वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल सीहोर की ओर संदर्भित पत्र के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।।

वनसंरक्षक,
वन संरक्षक
भोपाल वृत्त, भोपाल

28/11/22

E:\cf act year 2012\cf act Jan 2022.doc

Scanned by CamScanner